मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र. एफ/1443/1062 /2020/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 19/11/2020

प्रति,

संचालक
कोष एवं लेखा
पर्यावास भवन भोपाल

विषय :- मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में वेतन निर्धारण एवं विकल्प में आ रही कठिनाईया/ विसंगतियां के संबंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 1214/1052/2020/नियम/चार दिनांक 25.09.2020

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा मध्यप्रदेश सचिव, वित्त की अध्यक्षता में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गयी थी।

उक्त बैठक में मध्यप्रदेश के संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा वेतन निर्धारण किये जाने में IFMIS सिस्टम में आ रही कठिनाईयां के संबंध में समय-समय पर अवगत कराया है, जिसे एकजाई कर आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न सूची अनुसार प्रेषित है।

कृपया की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :- यथोक्त

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग

पृ.क्रं. एफ/1444/1062/2020/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 19/11/2020

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग

1. 01/01/16 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत/सवै0/अनिवार्य सेवानिवृत्त प्रकरणों के नाम लंबित वेतन निर्धारण सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं जिनका कोई भी स्वत्व लंबित नहीं है

   अतः उनके नाम सूची से पृथक कराए जाने का कष्ट करें।

2. 01/01/16 से अग्रवाल समिति व्दारा स्वीकृत उन्नयन वेतनमान का संशोधित समयमान वेतनमान जो 01/04/2016 से देय है तथा आर्थिक लाभ जुलाई 2018 से देय है। SYSTEM में गणना नहीं कर रहा है।

3. 01 जनवरी 2016 अथवा उसके उपरान्त उन्नयन होने पर IFMS व्दारा 7 वें वेतनमान के तथ्स्थानीय लेबल में वेतन निर्धारण अगली स्टेज में किया जाता है जबकि नियमानुसार उन्नयन पर वेतन निर्धारण समान वेतन पर होना चाहिए यदि समान वेतन नहीं है तो वेतन निर्धारण उसकी पूर्व की स्टेज पर कर अंतर की राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में देय होनी चाहिए।

4. यदि किसी कर्मचारी को दिनांक 01/01/2016 के पूर्व (पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के पूर्व) उसके मूल पद के न्यूनतम वेतन पर लाये जाने का दण्ड मिलता है तो IFMS में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में वेतन निर्धारण करने पर मूल पद के न्यूनतम पर वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है और न्यूनतम का दण्ड खत्म होने पर वेतन वृद्धि भी त्रुटिपूर्ण लग रही है। उदाहरण- 1 आरक्षक जिसे व्दितीय समयमान वेतनमान ग्रेड वेतन 2800 में प्राप्त हो चुका है उसे दिनांक 14/9/2015 को 03 वर्ष तक उसके मूल पद के न्यूनतम पर लाये जाने का दण्ड मिलता है तो पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01/01/2016 को वेतन रू0 19500 प्राप्त होना चाहिए। (आरक्षक के पद का न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में) लेकिन IFMS में दिनांक 01/01/2016 को न्यूनतम वेतन 19500 में वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है। तीन वर्ष पश्चात् दंडावधि समाप्त होने पर भी सही वेतन वृद्धि नहीं लगाई जा रही है।

5. यदि किसी कर्मचारी की असंचयी वेतन वृद्धि रोके जाने का दिनांक व समयमान वेतनमान दिये जाने का दिनांक एक ही है तो IFMS में दो असंचयी वेतन वृद्धि न रोक कर समयमान वेतनमान दिये जाने के दिनांक को 01 वेतन वृद्धि लगा दी जाती है व उसके

पश्चात् 01 वेतन वृद्धि असंचयी रोकी जाती है जो कि त्रुटिपूर्ण है। उदाहरण एक कर्मचारी की दो असंचयी वेतन वृद्धि रोके जाने का आदेश दिनांक 25/11/2013 को पारित हुआ है एवं दिनांक 01/07/2014 से समयमान वेतनमान का लाभ भी प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में IFMS में वेतन निर्धारण करने पर वर्ष 2014 की वेतन वृद्धि लगा दी जाती है सिर्फ 2015 की वेतन वृद्धि ही असंचयी रोकी जाती है जबकि नियमानुसार वर्ष 2014 की वेतन वृद्धिभी रोकी जानी चाहिए।

6. 01/01/2006 के पूर्व के प्रकरणों में IFMS में पदोन्नति पर 22-डी को नहीं लिया जाना।

   I. कर्मचारी की यदि कोई सर्विस ब्रेक (छः माह से कम अवधि) होती है तथा वह DNI रोकने हेतु पर्याप्त नहीं है उसकी प्रविष्टि IFMIS Software में करने पर वह कर्मचारी क्छप् रोक देता है उदाहरण (फ्लेग-ए) ऐसी स्थिति में उसकी DNI न रूके व कर्मचारी का नुकसान न हो इस हेतु कार्यालय व्दारा यह प्रविष्टि IFMIS Software में में छोड़ दी जाती है हालांकि यह प्रविष्टि उसकी सेवा पुस्तिका में होती है। यह समस्या छटवें व सातवें वेतनमान की प्रविष्टियों में है। IFMIS Software में सर्विस ब्रेक की केवल वही प्रविष्टियां कार्यालयों व्दारा की जाती है जो नियमानुसार DNI रोकने के लिए पर्याप्त है। अतः IFMIS Software में इस प्रकार की व्यवस्था/सुधार किया जाये की सर्विस ब्रेक की सभी प्रविष्टि भी हो जाये तथा नियमानुसार देय वेतन वृद्धि भी अवरोध न हो।

   II. यदि किसी शासकीय सेवक की एलडब्ल्यूपी छः माह या उससे अधिक है उदाहरण के लिये 20/11/2006 से 12/02/2009 तक यदि एलडब्ल्यूपी है तो नियमानुसार 01/07/2009 की वेतन वृद्धि देय नहीं होगी परन्तु सिस्टम 01/07/2009 को वेतन वृद्धि भी ले लता है (फ्लेग- बी) संलग्न है।

7. वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 29/07/2020 व्दारा शासकीय कर्मचारियों की जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि रोकी गई है। ऐसी स्थिति में यदि किसी कर्मचारी को स्वीकृत विशेष वेतन वृद्धि अथवा पूर्व में रोकी गई असंचयी प्रभाव की वेतन वृद्धि जो जुलाई 2020 में देय है तो ऐसे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जुलाई 2020 में आईएफएमआईएस सिस्टम में कैसे लगेगी।

8. समान वेतनमान में पदोन्नति होने पर शासन के आदेशानुसार पदोन्नति को समयमान प्रदान किये जाने हेतु गणना में नहीं लिया जाना है किन्तु समान वेतनमान से कम वेतनमान में पदोन्नति होने पर पदोन्नति को समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु पदोन्नति को गणना में लिया जाना है अथवा नहीं यह स्पष्ट न होने से वेतन निर्धारण में विसंगतियां उत्पन्न हो रही है। जब समान वेतनमान में पदोन्नति होने पर शासन के आदेशानुसार पदोन्नति को समयमान प्रदान किये जाने हेतु गणना में नहीं लिया जाना है तब निम्न वेतनमान में पदोन्नति में पदोन्नति को भी समयमान वेतनमान की गणना में नहीं लिया जाना चाहिए।

9. 01/01/2016 के पश्चात् समयमान वेतनमान/पदोन्नत वेतनमान पर IFMS SYSTEM में वेतन निर्धारण करने पर Calculation sheet में PAY SCALE एवं PAY Leave दर्शित नहीं होता है।

10. IFMS SYSTEM में Work LIST में लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों की सूची Print होने का Option नहीं होने के कारण सूची तैयार करने में कठिनाई होती है।

11. IFMS में कुछ प्रकरणों में नो पोस्ट फाउंड का भी मैसेज आता है जिससे उक्त प्रकरण न तो फारवर्ड होते हैं और न ही डीडीओ को पुनः वापस होते हैं।